"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 जुलाई 2012—आषाढ़ 25, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 2012 (आषाढ़ 25, 1934)

क्रमांक-9860/वि.स./विधान/2012.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 10 सन् 2012) जो दिनांक 16 जुलाई, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 10 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2012

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5-क का संशोधन. 2. (1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 5-क की उप-धारा (1) तथा उसके प्रथम परंतुक में, शब्द "रुपये दो लाख" के स्थान पर शब्द "रुपये तीन लाख" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 5-क की उप-धारा (2) में, शब्द "रुपये एक लाख" के स्थान पर शब्द "रुपये एक लाख पचास हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 6-क का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 6-क की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में, शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए और शब्द "अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी" के पश्चात् शब्द "और यह भी कि यदि किसी व्यक्ति ने दस वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये पूर्वोक्त रूप में कार्य किया हो, तो उसे दस वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए चार सौ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी और यदि किसी व्यक्ति ने पन्द्रह वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये पूर्वोक्त रूप में कार्य किया हो, तो उसे पन्द्रह वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी" जोड़ा जाये.

धारा 6-ख का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 6-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात् :—
"किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नि यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को, पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रतिमाह दस हजार रुपये पेंशन दी जायेगी."

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों एवं भूतपूर्व सदस्यों को प्रदत्त सुविधाओं में कुछ और सुधार करने के लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 में संशोधन आवश्यक है.

अतएव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क, 6-क तथा 6-ख में संशोधन प्रस्तावित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 11-07-2012

बृजमोहन अग्रवाल
संसदीय कार्य मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 2, 3 एवं 4 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष रुपये 1,70,30,000.00 (रुपये एक करोड़ सत्तर लाख तीस हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क (1), 5-क (2), 6-क (1) का प्रथम परन्तुक एवं 6-ख का सुसंगत उद्धरण —

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 5-क (1) प्रत्येक सदस्य भारत वर्ष के भीतर एक वित्तीय वर्ष में "रुपये दो लाख" किराये की सीमा तक नि:शुल्क रेल और हवाई यात्रा का हकदार होगा, ऐसे सदस्य को, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जाये, रेल यात्रा के लिए रेल्वे कूपन भी उपलब्ध कराये जाएंगे.

परन्तु प्रत्येक सदस्य अकेले या एक और व्यक्ति के साथ इस शर्त के अधीन यात्रा कर सकेगा, कि रेल एवं हवाई यात्राओं पर व्यय एक वित्तीय वर्ष में रुपये दो लाख से अधिक का नहीं होगा.

परन्तु यह भी कि प्रत्येक सदस्य रेल यात्रा के दौरान एक और व्यक्ति के साथ यात्रा करने का हकदार होगा, परन्तु यह और कि समितियों की बैठक में उपस्थित होने के लिए सदस्यों द्वारा की गई यात्रायें इस उपधारा में उल्लेखित वित्तीय सीमा से बाहर रहेंगी.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 5-क (2) धारा 6-क के अधीन पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं, अकेले या एक अन्य व्यक्ति के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान यात्रा हेतु "रुपये एक लाख" मूल्य के कूपन की पात्रता होगी, साथ ही ऐसे व्यक्ति ऐसे कूपन की "रुपये एक लाख" की सीमा में ही हवाई यात्रा करने के भी हकदार होंगे.

धारा 6-क (1) का प्रथम परन्तुक. परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने, पांच वर्ष से अधिक कालावधि तक पूर्वोक्त रूप से कार्य किया हो, वहां उसे पांच वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए दो सौ रुपये प्रतिमास के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 6-ख किसी वर्तमान या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नि या उसके आश्रित यदि कोई हो, को ऐसे वर्तमान या भूतपूर्व सदस्य की मृत्यु के दिनांक से दस वर्ष की कालावधि के लिए पेंशन रुपये आठ हजार प्रतिमाह दी जायेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.